वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में पात्र औद्योगिक इकाइयों की शेष अवधि के संबंध में सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद घटक के लिए बजटीय समर्थन योजना

Posted On: 29 DEC 2017 3:56PM by PIB Delhi

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पर्वतीय राज्यों में प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों के शेष अविध के संबंध में सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद घटक के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के बराबर बजटीय समर्थन प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के फैसले के अनुरूप बजटीय समर्थन की एक योजना को औद्योगिक नीति एवं संवद्भन विभाग ने 15 अगस्त, 2017 की एक अधिसूचना के जिरये अधिसूचित किया है। उक्त अधिसूचना http://dipp.nic.in/budgetary-support-under-gst-regime पर उपलब्ध है।

योजना के तहत बजटीय समर्थन केन्द्रीय चुकता कर का कुल 58 प्रतिशत और इकाइयों के नकदी खाते में निकासी के जरिये समेकित चुकता कर का 29 परितशत होगा।

सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बजटीय समर्थन प्राप्त करने के संबंध में यह फैसला किया गया है कि इकाइयों को दस्ती आवेदन के जरिये पंजीकरण कराना होगा। स्वीकृत रकम पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के जरिये हितधारकों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

आवेदन पत्र और इकाइयों द्वारा पालन किये जाने वाली प्रिक्रिया के संबंध में सीबीईसी ने 27 नवम्बर, 2017 और 30 नवम्बर, 2017 को सर्कुलर जारी किया था। उक्त सर्कुलर 'केन्द्रीय सीमा शुल्क' के तहत www.cbec.gov.in पर उपलब्ध है। इसे http://dipp.nic.in/budgetary-support-under-gst-regime पर भी देखा जा सकता है।

वीके/एकेपी/जीआरएस- 6135

(Release ID: 1514614) Visitor Counter: 162









n